□□□□ □□□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्रा□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□□□□

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□ : 1160
28 □□, 2019 □□ □□□□□□□□□□ प्रश्न □□ □त□□

□□□ □□□त्रा□ □त्रा

1160. श्री□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ बताने को कृपा करगे कि:

(□) क□□ □□□□□ □□ □ □□□ □□ क्ष□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ं □□□□□□□□□ □□□ग्र □□□ □□□त्रा□ □त्रा □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□, □□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □;□□

(□) क□□ सरकार का पूरे देश म कसर □□□□-□□□□□, उपचार और उपशमन प्रक्रियाओं □□ □□स□□□ □□□□□ं □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□,□□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □?

□त□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री (श्री □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(□) □ (□): □न्द्र □□□□□ □□□ □ी रोकथाम व नियंत्रण हेतु तथा वहनीय व सुगम परिचया प्रदान करने के □□□ □□ज□ सरकारों के प्रयासों म सहयोग देती है। केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्व□□ □□□ □□म□ प्र□□□ □□ं -

(i) □□□□ स□□ □□ □□□-कलाप करने के लिए एनएचएम के तहत कायान्वित किये □□ □□□□ष्ट्री□ □□□, □□□□□, ह□□□□□□□ □□□, आघात नियंत्रण तथा रोकथाम कायक्रम (एनपीसीडीसीएस) के लक्ष्यों □ कसर को रोकथाम के लिए जागरुकता पैदा करना, स्क्री□□, शीघ्र पहचान करना और उपयुक्त स□□ □□ □स□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ स□□, □□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□इस कायक्रम का फोकस अवसंरचना सुदृढीकरण, □□□□ □□□□□ □□□□□, स□□स्थ्य प्र□□□, □□ग्र □□□□□, □□□□□ □ □□□□ □□ □□□□ज□ □□□□□ं द्व□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□, कायक्रम के तहत जिला स्त□ □□ 585 एनसीडी क्लिनिकों व सामु□□□□□ स□□स्थ्य □न्द्र स□□ □□ 3084 एनसीडी क्लिनिकों को स्थापना को गयी है। कसर कोमोथिरेपी के लिए, 168 □□□□□ केन्द्रों को स्था□□□ □□ □ी □□□ □□□

(ii) व[illegible] प्र[illegible] स[illegible]स्थ्य [illegible] [illegible]भाग के रूप म एनएचएम के तहत देश के 215 से अधिक जिलों [illegible] [illegible]ों ([illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], स[illegible] [illegible] ग्र[illegible] कसर) को [illegible], नियंत्रण व जांच हेतु एक जनसंख्या स[illegible]रीय पहल को शुरूआत को गयी है।

(iii) कसर को तृतीयक परिचया सुवि[illegible]ओं [illegible], कद्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों म राज्य [illegible] [illegible]न (एससीआई) तथा तृतीयक परिचया कसर कद्र(टीससीसी) स्था[illegible] [illegible] प्रदान करने के लिए कसर संबंधी तृतीयक परिचया स्को[illegible] [illegible] कायान्वित कर रही ह।

(iv) कसर विज्ञान अपने विभिन्न पहलुओं म प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतगत नए एम्स और कई उन्नत संस्थानों के मामले पर ध्यान देता है।

(v) झज्जर (हरियाणा) स्थित राष्ट्रीय कसर संस्थान और चितरंजन राष्ट्रीय कसर संस्थान, [illegible] दूसरे परिसर को स्थापना को भी अनुमोदित किया गया है।

(vi) [illegible] [illegible]ष्ट्रीय [illegible] [illegible] ([illegible]), स[illegible]स्थ्य मंत्री कसर निधि (एचएमसीपीपी), [illegible] स[illegible]स्थ्य [illegible]त्री [illegible] ([illegible]) [illegible]ओं [illegible]ों [illegible] [illegible] प्र[illegible]

(vii) रोगियों के लिए रियायती कोमतों पर कसर और हृदवाहिका रोग को दवाएं और प्रत्यारोपण उपलब्ध [illegible]देश[illegible] 158 संस्थानों / अस्पतालों म किफायती औषधि और विश्वसनीय प्रत्यारोपण [illegible] ([illegible]) [illegible] विभाग द्वारा किफायती कोमतों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि भंडारों को स्थापना को गई है।

(viii) प्रधानमंत्री जन आरोग्य [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible]द्ध [illegible]ों ([illegible] दोनों) म सेवा बिंदु पर लाभार्थियों के लिए कैशलेस सुलभता प्रदान क[illegible] 10 [illegible] [illegible] [illegible]ों [illegible] 5,00,000/- रूपए को कवरेज का लाभ प्रदान करती है। विशेषज्ञ समिति द्वारा 1350 से अधिक मेडिकल पैकेजों को अंतिम रूप दिया गया है। पीएमजेएवाई के तहत कसर का [illegible]

[illegible] के तहत राष्ट्रीय उपशामक परिचया कायक्रम (एनपीपीसी) [illegible] कायान्वित कर रही है। इस कायक्रम के उद्देश्यों म सरकारी कायक्रमों म उपशामक परिचया सेवा प्रदानगी हेतु क्षमता [illegible], पीड़ा राहत एवं उपशामक परिचया के बारे म लोगों म जागरूकता बढ़ा [illegible], [illegible] कौशल तथा ज्ञान के माध्यम से समुदाय म व्यवहार परिवतन का प्रचार-प्र[illegible] स्वास्थ्य परिचया प्रणाली को सहयोग देने वाली समुदाय समर्थित पहल सामने आएंगी। अन्य बातों के [illegible]-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन [illegible] र अवसंरचना को सहायता हेतु आवर्ती व [illegible]-आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है।

यह कायक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 'मिशन फ्लेक्सिपूल' [illegible]ज[illegible]ों [illegible] प्रचालन और वित्तीय दिशा-निदशों का ढांचा तैयार किया गया है जिसके आधार पर एनएचएम के तहत वित्तीय सहायता मांगने के लिए राज्य अपनी संबंधित कायक्रम कायान्वयन योजनाओं (पीआईपी) म उपशामक परिचया और उन्ह शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव तैयार करते ह। राज्यों द्वारा प्रस्तुत पीआईपी के अनुसार सहायता प्रदान को जाती है।

******